भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय { मध्य क्षेत्र }

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–2326696

पत्र सं0 2–840/यू0पी0/एस0ए0जी0/2008–10/एफ0सी./1768

दिनॉक : 12.03.2012

सेवा में ,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : राज्य सलाहाकार समूह की बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, कि राज्य सलाहाकार समूह की आगामी बैठक जो कि दिनांक 21.03.2012 को प्रातः 11:00 बजे, से मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), लखनऊ की अध्यक्षता में केन्द्रीय भवन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में आहूत की जाएगी जिसमें निम्नलिखित प्रस्तावों को सम्मिलित किया जायेगा।

कम	प्रस्ताव का नाम	जनपद	क्षेत्रफल (हे0)	पत्रावली संख्या
1.	जनपद ललितपुर के ग्राम–खुरा के आराजी संख्या–63/2 रकबा 4.427 हे0 तथा आराजी संख्या– 158/2 रकबा 2.902 हे0 कुल 7.329 हे0 आरक्षित वन भूमि में ग्रेनाइट साइज्ड डाइमोन्शनल स्टोन खनन हेतु 30 वर्षों की लीज पर वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 22 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।	ललितपुर	7.329	8बी/यू0पी0/05/117/2011/एफसी
2.	एन0 एच0 86 के किमी0 7.450 से 62.300 तक, किमी0 62.300 से 106.100 तक एवं 106.100 से 130.100 तक पेब्ड सोल्डर सहित दो लेन चौड़ीकरण हेतु 16.455 हे0, 13.14 हे0 एवं 7.20 हे0 कुल– 36.795 हे0 तथा बाधक– 1321, 1040 एवं 19812 कुल– 22173 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबध में।	कानपुर/ हमीरपुर/ महोबा	36.795	8बी/यू0पी0/06/08/2012/एफसी
3.	जनपद बहराइच में सरयू नहर निर्माण खण्ड नानापारा किमी0 3.339 से 4.200 तक के मध्य पड़ने वाली 16.311 हे0 आरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबध में।	बहराइच	16.311	8बी/यू0पी0/02/132/2011/एफसी

आपसे अनुरोध है, कि सम्बन्धित प्रस्तावों के प्रयोक्ता अभिकरण सदस्य/अधिकारी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी आवश्यक अभिलेखों के साथ बैठक में उपस्थित हों। विगत बैठकों में यह पाया गया है कि राज्य सलाहाकार समूह के बैठक के लिए नामांकित अधिकारी बैठक में उपस्थित नही रहते हैं, जबकि मुख्य सचिव महोदय एस0 ए0 जी0 की बैठक हर माह आयोजित करने के लिए अनुरोध किया करते हैं अतः आपसे अनुरोध है कि बैठक के लिए नामांकित अधिकारियों कि उपस्थिति सुनिश्चित करें अन्यथा प्रस्तावित बैठक निरस्त भी की जा सकती है।

भवदीय,

(वाई0के0 सिंह चौहान)
मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)